संख्या-23/2/1986-कार्मिक-2

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 9 जुलाई, 1986

विषय :- चयन समितियों में एक महिला सदस्य को नामित किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि सेवाओं में भर्ती हेतु गठित चयन समितियों में एक महिला सदस्य को भी नामित किया जाय। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेवाओं में भर्ती हेतु गठित चयन समितियों में एक महिला अधिकारी को भी शमिल करने का यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे पदों के संबंध में, जिनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, इस बात का विशेष प्रयास किया जाना चाहिए कि एक महिला सदस्य भी चयन समिति में हो।

2-कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सम्बधितों को अवगत कराने एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव।

संख्या-23/2/1986 (1)-कार्मिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2-सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-एच 11014/4/83-"वीमेन्स सेल", दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
बी0 डी0 यादव,
अनु सचिव।